

सम्पादकीय

राज्यपालों की नियुक्ति : यह पहली नजीर नहीं

मोदी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा प्रीम मुर्मू ने हाल में जिन 13 राज्यपालों को बदला और नियुक्त किया है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा सुग्रीम कोर्ट के पूर्व जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर की है। मूलतः कानूनक के रहने वाले जरिस्टस नजीर पिछले माह 4 जनवरी को ही रिटायर हुए थे और करीब एक महीने बाद ही उन्हें सरकार ने आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। खास बात यह है कि जरिस्टस नजीर, राम जन्मभूमि केस में संघीच न्यायालय की संविधान पीठ के सदस्य रहे हैं, पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। यहीं नहीं, जरिस्टस नजीर, मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाली बैंच का भी हिस्सा थे। साथ ही सुग्रीम कोर्ट की चिस बैंच ने तीन तालक को अवैध ठहराया था, उसमें भी जरिस्टस नजीर शामिल थे। ये वो फैसले हैं, जो सरकार के पक्ष में रहे हैं। वैसे किसी पूर्व न्यायाधीश को राज्यपाल या सांसद बनाए का यह कोई पहला मामला नहीं है। उससे पहले तकालीन जवाहर लाल नेहरू सरकार ने 1952 में सुग्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे जरिस्टस सेयद फजल अली को पहले ऑडिशा और बाद में असम का राज्यपाल नियुक्त किया था। तब इसका काई खास विरोध नहीं हुआ था। लेकिन बाद के वर्षों में रिटायर्ड न्यायाधीशों को ज्यादातर आयोग, द्रिव्यनालों में नियुक्त किया जाता रहा।

पहले भी ही चुकी हैं ऐसी नियुक्तियां

1997 में तकालीन देवगौडा सरकार की सिफारिश पर सुग्रीम कोर्ट की पूर्व जरिस्टस रहीं फातिमा बीवी को तमिलनाडु का तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुखदेव सिंह कग को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि, फातिमा बीवी को एआईएलीएमके नेता जयललिता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बिंदु राज्यपाल पाड़ा था। मजे की बात यह है कि उस वक्त अटल बन्दर में मंत्री रहे अरुण जेटली ने पूर्व न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाए जाने की आलोचना की थी, लेकिन 2014 में केन्द्र में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार और भाजपा ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाना शुरू किया। साल 2014 में ही सरकार ने सुग्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चौफ जरिस्टस पी. सदाशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जरिस्टस सदाशिवम अपने गांव लौट गए थे। उस वक्त 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' का मुद्दा जोरशोर से उठा था।

हालांकि, सदाशिवम द्वारा दिए गए फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठी, लेकिन यह सवाल शित से उठा कि क्या पूर्व न्यायाधीशों को इस तरह राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार करनी चाहिए और क्या सरकार ऐसा करके न्यायपालिका को क्या संदेश देना चाहिए?

संघीचारित दृष्टि से पूर्व जजों के राजनीतिक पुनर्वास पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यह संवेदनानिकता से ज्यादा नैतिकता का प्रश्न है। योगीके रिटायर्ड जजों को राजनीतिक नियुक्ति देना अथवा अन्य किसी लाभ के पद से नवाजा जाना अदालत में बौत जज उनके द्वारा दिए जाने वाले फैसलों की निष्पक्षता अथवा पूर्वापेक्षा पर कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। रिटायरमेंट के बाद लाभ के पद पर तैनाती से जज द्वारा अपने कार्यकाल में दिए गए कानूनी फैसलों से यह ध्वनि निकल सकती है कि उसने संबंधित मामले में फैसला इस प्रवृत्त्या में दिया कि इसके बदले में भविष्य में उसे कुछ लाभ मिलेगा। यह भी संदेश जा सकता है कि उसकर के पक्ष में अथवा किसी विशेषज्ञता के विचाराधारा को लाभ पहुंचाने वाला फैसला दिया, इसलिए उसकी ऐवज में सरकार ने पूर्व जज को लाभ का पद देकर उपरूप त किया। हालांकि, जजों को कानून के दायरे में रहकर ही फैसले देने होते हैं, लेकिन उन फैसलों में अंतर्विहित भाव को भी बखूबी पढ़ा जा सकता है। जरिस्टस नजीर और राम जन्मभूमि फैसला जरिस्टस नजीर के संदर्भ में यह सवाल शित से इसलिए उठ रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि मामले में फैसला देने वाली पांच जजों की संवेदानिक पीठ में सींत जजों का पुनर्वास मोदी सरकार ने कर दिया है। उन पांच जजों में से एक तो अपी देश के प्रधान न्यायाधीश हैं ही। राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला देने वाली संविधान पीठ के अध्यक्ष रहे तकालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को सरकार ने पद से रिटायर होते ही तुरंत राज्यपाल का सदस्य नामित कर दिया। जरिस्टस गोगोई ने कई ऐसे फैसले दिए, जिनमें सरकार के पक्ष के उचित मान गया। मसलन उन्होंने रफाल सोदे की समीक्षा और राहुल गांधी के खिलाफ आदालत की विवादाना के मामलों की भी सुनवाई की। रफाल सोदे में मोदी सरकार पर भट्टाचार्य के आरोप लगे थे लेकिन रंजन गोगोई की बेंच ने रफाल सोदे की जांच को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इनके अलावा जरिस्टस रंजन गोगोई ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद किए जाने के बाद दायर सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इसके पहले भारत के 21वें चौफ जरिस्टस रहे रंगनाथ मिश्रो को एग्रेस पार्टी ने साल 1998 में राज्यसभा भेजा था। जरिस्टस रंगनाथ मिश्र राज्यपाल जाने वाले सुग्रीम कोर्ट के दूसरे जज थे। उनसे पहले जरिस्टस बहाल इस्लाम जनवरी 1983 में सुग्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए थे और उसी साल जून में कांग्रेस राज्यपाल ने उन्हें राज्यपाल भेज दिया था। जजों के रिटायर होने के बाद सरकार पर रोक कर दिया था। जजों के रिटायर होने के बाद सरकार पर लेने पर रोक के खिलाफी नियुक्तियों पर एक सुधार पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं हुई। पूर्व जजों की पैशकारी नियुक्तियों पर एक सुधार पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं हुई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं होती। वैसे पूर्व जजों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करने पर कोई संवेदानिक रोक नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं हुई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं होती। वैसे पूर्व जजों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करने पर कोई संवेदानिक रोक नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं हुई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं होती। वैसे पूर्व जजों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करने पर कोई संवेदानिक रोक नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं हुई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया और अब जरिस्टस एस. अब्दुल नजीर नहीं होती। वैसे पूर्व जजों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करने पर कोई संवेदानिक रोक नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) सुग्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई पूर्व जजरिस्टस एस. अब्दुल नजीर 2014 में इस सुझाव को खारिज कर दिया था। एक तर्क यह भी है कि क्या वो किसी प्रतिवाद की अपेक्षा में थे अथवा पूर्णतः न्यायिक बूषण को नेशनल कॉर्पोरेट द्रिव्यालैन (एनकलेट) का चेयरमैन बना दिया औ

